स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने ताम्र पत्र लौटा दिए हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि किसी ने भी अपना ताम्र पत्र-वापस नहीं किया ।

Study of problems of Undeveloped areas in the Country

3523. SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether a National Committee on development of backward areas was constituted during Janata regime;

(b) if so, has the Committee submitted any report; and

(c) if so, details of the principal recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI N. D. TEWARI): (a) Yes, Sir.
(b) No, Sir.
(c) Does not arise.

स्टेनोग्राफरों को दक्षता वेतन वृद्धि दिया जाना

3524. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी में अर्हता परीक्षाएं पास करने पर दक्षता वेतन वृद्धियां नहीं मिलतीं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे हिन्दी स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है जिन को इस प्रकार की गति परीक्षा पास करने पर दक्षता वेतन वृद्धियां मिल रही हैं; और

(घ) उन मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन में ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अधीनस्थ कार्यालयों (जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग नहीं ले रहे) में कार्य कर रहे आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को दक्षता वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई हैं। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग ले रहे मंत्रालयों-विभागों में कार्यरत आशुलिपिकों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इस प्रकार उन्हें दक्षता वेतन वृद्धियां नहीं दी जाती ।

(ग) और (घ) सभी मंत्रालयों विभागों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर इस का विवरण रखा जाएगा ।

सिक्किम में केन्द्रीय अधिनियमों को लागू किया जाना

3525. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम के भारत संघ में विलय के बाद वहां लागू 75 केन्द्रीय अधिनियमों का ब्यौरा क्या है और वहां मार्च, 1979 से कोई अन्य अधिनियम, भी लागू किए गए हैं और यदि हां, तो इन केन्द्रीय अधिनियमों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान सिक्किम में लागू कानूनों की ओर दिलाया गया है जो भारत के संविधान, न्यायपालिका और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं परन्तु वहां अभी तक लागू हैं और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन्हे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) :

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सिक्किम में अब तक 74 केन्द्रीय अधिनियम लागू किये गये हैं। इन में से 6 मार्च, 1979 के बाद लागू किये गये थे। 74 केन्द्रीय अधिनियमों की सूची संलग्न है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

विवरण

सिक्किम में लागू केन्द्रीय कानूनों के नामों की सूची ।

क्रम संख्या	अधिनियमों के नाम
1.	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 (1850 की अधिनियम सं0 18)
2.	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम सं0 13)